

13 जुलाई, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली  
अनुमोदन बोर्ड की 41वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 41.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नवी मुंबई, महाराष्ट्र	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	100	नहीं	हां	नया
(ii)	मैसर्स कोस्टल फेरोटेक लिमिटेड	फतेहपुर (डाकघर), नंदकुमार (थाना), हल्दिया पूर्व, मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल	धातु	111.28	नहीं	हां	नया
iii	मैसर्स इंफोपाक्स, केरल	तालुक कुन्नाथूनाद, जिला एर्नाकुलम, केरल	आईटी / आईटीईएस	12.5804	हां	हां	नया

\*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 41.2 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इंफोपाक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड

गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, आंध्र प्रदेश में लगभग 10 हेक्टेयर (25.68 एकड़) के क्षेत्रफल में मैसर्स एलएंडटी इंफोपाक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की सहायक कंपनी है, ने उपर्युक्त एसईजेड में 427651 वर्ग फीट के पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में प्रासंगिक सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 15 जून, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम मुसालगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा बहु उत्पन्न एसईजेड 27 अक्टूबर 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियाबुल्स वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में प्रासंगिक सुविधाओं के साथ जलापूर्ति, निस्सारी शोधन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित अवसंरचना सुविधाओं के विकास तथा संबंधित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 29 जून, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.3 : किफायती दर पर एसईईपीजेड - एसईजेड में बिजली के स्रोतन एवं वितरण के लिए एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एसईईपीजेड एक्सपोर्ट्स एनर्जी सेविंग एसोसिएशन (प्रस्तावित) का प्रस्ताव

अन्य स्थानों की तुलना में एसईईपीजेड-एसईजेड में विद्युत टैरिफ अधिक है जो एसईजेड में निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है। एसईजेड प्रशासन ने तर्कसंगत दर पर निर्यातकों को बिजली उपलब्ध कराने की संभावना की जांच की है ताकि लेनदेन की लागत कम हो सके और प्रतिस्पर्धा की क्षमता भी बढ़ सके।

नियम 5(5) (ग) के माध्यम से एसईजेड नियमावली विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के प्रावधानों के अधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण को अनुमत करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2010 के माध्यम से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 (ख) को संशोधित किया गया तथा "परंतु यह कि एसईजेड अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचित एसईजेड के विकासक को ऐसे एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से इस खंड के प्रयोजनार्थ लाइसेंसधारक के रूप में माना जाएगा" नामक प्रावधान शामिल किया गया।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में, आपस में विचार विमर्श के बाद एसईईपीजे-एसईजेड के निर्यातकों ने एसईईपीजेड में स्थित यूनिटों तथा स्थापना को तर्कसंगत दर पर बिजली उपलब्ध कराने और वितरण करने के एकमात्र उद्देश्य से "एसईईपीजेड निर्यातक ऊर्जा बचत संघ (प्रस्तावित)" नामक एक एसपीवी का गठन किया। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने इंदौर एसईजेड का दौरा किया जहां मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केन्द्र के माध्यम से तर्कसंगत दर पर विद्युत के स्रोतन एवं वितरण की सुविधा पिछले 5 वर्षों से मौजूद है। वे एनटीपीसी से विद्युत ले रहे हैं।

विद्युत अधिनियम की धारा 14 (ख) में उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में विकास आयुक्त एसईईपीजेड-एसईजेड को डीम्ड लाइसेंसी के रूप में बनाया गया है। एसईईपीजेड निर्यातक ऊर्जा बचत संघ (प्रस्तावित) ने एसईईपीजेड - एसईजेड में स्थित यूनिटों एवं स्थापनाओं को तर्कसंगत दर पर विद्युत के स्रोतन एवं वितरण की गतिविधि संचालित करने के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 6 के तहत सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**मद संख्या 41.4 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

- (i) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध
- (ii) श्रीपेरम्बदूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलांकनि टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
- (iii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाकुरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
- (vii) सनाथल गांव, सनंद तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सिटी गोल्ड रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
- (v) सरगासन गांव, तालुक एवं जिला गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स शिवगंगा रियल एस्टेट होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
- (vi) टिवरी एवं राजावली गांव, वसई तालुक, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आएनए बिल्डर्स का अनुरोध
- (vii) सोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रुद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
- (viii) बिनोला गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारेक्स एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध
- (ix) तालुक पनवेल, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) कुन्नातुनडाउ गांव, तालुक मोरकाला देशम, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

मद संख्या 41.5 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 107.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 105.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना के लिए 190 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और भावी विकास के लिए प्रतिबद्धता की है। यह भी बताया गया है कि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए 'स्टाप वर्क' नोटिस सहित कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य सरकार से सहायता न मिलने के कारण वे अगस्त 2008 के बाद निर्माण कार्य करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्णय से व्यथित विकासक ने बांबे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ से संपर्क किया है तथा मामला न्यायाधीन है। विकासक ने बताया है कि कंपनी परियोजना निष्पादित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ii) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पैराडिगम लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 40.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि हालांकि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने एसईजेड की अधिसूचना के लिए निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित की है परंतु गोवा सरकार से लिखित अनुदेश के आधार पर अधिसूचना को आस्थगित रखा गया। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्णय से व्यथित विकासक ने बांबे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ से भी संपर्क किया है तथा मामला न्यायाधीन है। विकासक ने बताया है कि कंपनी परियोजना निष्पादित करने तथा आईटी/आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(iii) भूट खाम्ब, केरिम, पोंडा, गोवा में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 123.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 123.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि अधिसूचना के बाद कंपनी ने एसईजेड में यूनिटों की स्थापना के लिए सिप्ला लिमिटेड को भूखंडों का आवंटन सहित एसईजेड में विकास कार्य शुरू किया था। तथापि, दिसंबर 2007 में गोवा राज्य में सभी एसईजेड के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद गोवा सरकार ने काम रोक नोटिस जारी किया तथा निदेश दिया कि सभी एसईजेड विकासक एसईजेड में सभी विकास कार्य रोक दें और जीआईडीसी को ऐसी भूमि का पट्टा निरस्त करने का निदेश दिया जो एसईजेड के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्णय से व्यथित विकासक ने बांबे उच्च न्यायालय, गोवा पीठ से भी संपर्क किया है तथा मामला न्यायाधीन है। विकासक ने बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(iv) मोहाली, पंजाब में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 9 जून, 2006 के माध्यम से 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 13.75 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 8 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि 30 अप्रैल 2010 तक की स्थिति के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के अनुसार अधिकृत प्रचालनों के कार्यान्वयन / पूरा करने के लिए अब तक 272.84 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जा चुका है। विकासक ने यह भी बताया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण परियोजना विलंबित हुई है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(v) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 जुलाई, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 13 जुलाई, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को

औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 12 जुलाई, 2010 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड में सृजित अवसंरचना तथा निवेश का ब्यौरा प्रदान किया है। ब्यौरों के अनुसार विकासक / यूनिटों द्वारा कुल 53.4 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि 10 यूनिटों को एलओए जारी किया गया है जिसमें से 3 यूनिटों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(vi) भडूच गुजरात में रसायन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 107.16.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 फरवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि पहली बार समय बढ़ाने के बाद परियोजना पर तेजी से कार्य शुरू किया गया है तथा उम्मीद है कि जनवरी 2011 तक निर्यात शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भूमि सहित विकासक जुबिलायंट एसईजेड द्वारा किया गया कुल निवेश अब तक 40 करोड़ रुपए है तथा एक एसईजेड यूनिट द्वारा किया गया कुल निवेश 21.53 करोड़ रुपए (लगभग) है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(vii) भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अगस्त, 2006 के माध्यम से 10.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 3 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि परियोजना ऐसी परिस्थितियों के कारण विलंबित हुई है जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं और इसलिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि कंपनी एसईजेड की भावना के अनुसार परियोजना कार्यान्वित कर सके।

(viii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 23.429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक

को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि कंपनी ने मास्टर प्लान तैयार करने की योजना शुरू की है और विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। चरण 1 का विकास कार्य शीघ्र आरंभ होगा। बाजार की दुष्कर स्थिति के कारण कार्य शुरू करने में विलंब हुआ। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ix) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 21.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 21.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में 81.07 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि मंदी की वैश्विक रुझानों तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(x) रविरियाल गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टारगेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 68.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 1 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में 19.62 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि मंदी की वैश्विक रुझानों तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xi) माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को

औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में 10.81 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने बताया है कि मंदी की वैश्विक रुझानों तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xii) मामिडिपल्ली गांव, सररनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्राह्मणि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि परियोजना क्षेत्र में एनओसी जारी करने के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) द्वारा कसौटियों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण कंपनी ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करा पाई है। इसके अलावा आर्थिक मंदी के प्रभाव से अनेक ग्राहकों का निर्णय बाधित हुआ है जो आईटी एंड सी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से कंपनी के साथ बातचीत कर रहे थे। विकासक ने यह भी बताया है कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए बारबार बंद एवं हिंसा सहित आंध्र प्रदेश में राजनीतिक अनिश्चितता तथा आंदोलन से हैदराबाद का आर्थिक परिवेश बिगड़ गया है। इसकी वजह से तथा बीमार अर्थव्यवस्था के कारण निवेशकों / ग्राहकों का आत्मविश्वास डगमगा गया है तथा हैदराबाद में और आसपास अनेक परियोजनाएं संकटग्रस्त हो गई हैं। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त मुद्दों के बावजूद कंपनी ने इंक्यूबेशन स्पेस के 45208 वर्गफीट (लगभग) का विकास आरंभ किया है, जो सितंबर 2010 तक पूरा हो जाएगा। इससे कंपनी ग्राहकों की रुचि को समझने तथा मांग के आधार पर और विकास कार्य करने में समर्थ होगी। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मद संख्या 41.6 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) वल्लारपदम, कोचीन में पोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2009 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 115 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 115.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने 17 अप्रैल 2009 के बाद 2 साल की अगली अवधि के लिए एसईजेड के संबंध में एलओए की वैधता बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त सीएसईजेड ने कहा है कि विकासक द्वारा बताया गया है कि एसईजेड की 'क्रियाशीलता' शब्दावली को सही से न समझने के कारण एलओए की अवधि बढ़ाने



के लिए औपचारिक अनुरोध करने में विलंब हुआ है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सिफारिश की है कि विलंब को माफ किया जाए और एक साथ पहला और दूसरा समय विस्तार मंजूर किया जाए जिससे एलओए की वैधता अवधि 17 अप्रैल 2011 तक हो जाए।

(ii) पुथुवयुपीन कोचीन में पोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2009 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 285 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 285.8413 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने 17 अप्रैल 2009 के बाद 2 साल की अगली अवधि के लिए एसईजेड के संबंध में एलओए की वैधता बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त सीएसईजेड ने कहा है कि विकासक द्वारा बताया गया है कि एसईजेड की 'क्रियाशीलता' शब्दावली को सही से न समझने के कारण एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए औपचारिक अनुरोध करने में विलंब हुआ है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सिफारिश की है कि विलंब को माफ किया जाए और एक साथ पहला और दूसरा समय विस्तार मंजूर किया जाए जिससे एलओए की वैधता अवधि 17 अप्रैल 2011 तक हो जाए।

**मद संख्या 41.7 : सैद्धांतिक अनुमोदन की तीसरी बार अवधि बढ़ाना**

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड	बहु उत्पाद, 2000 हेक्टेयर	सुरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश	एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 जुलाई, 2010 तक वैध है। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी ने भूमि की सन्निकटता स्थापित करने के लिए 850 हेक्टेयर भूस्वामी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है, 392.708 हेक्टेयर की सरकारी भूमि के अंतरण तथा 347 हेक्टेयर आदिवासी भूमि जो निर्धारित क्षेत्र में आती है, के क्रय की अनुमति के लिए 26 अप्रैल 2010 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एसईजेड के लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर स्थित कान्हा नदी से 6 एमजीडी पानी की आपूर्ति के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा सरकार ने एकेवीएन लिमिटेड, जबलपुर के माध्यम से इक्विटी भागीदारी के लिए सहमत हुई है जिसके लिए एमओयू को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विकासक ने यह बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार का

				हस्तक्षेप परियोजना के यथासमय पूरा होने तथा 12 माह के अंदर औपचारिक आवेदन का आश्वासन देता है।
2.	मैसर्स बंगाल श्रेई इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	आटो कंपोनेंट, 200 हेक्टेयर	खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 जून, 2010 तक वैध थी। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी 103.1983 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है तथा उम्मीद है कि 6-9 माह के अंदर 146.8017 एकड़ भूमि के प्रापण का कार्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार परियोजना के लिए कंपनी 250 एकड़ की न्यूनतम भूमि की खरीदारी कर लेगी।

#### मद संख्या 40.8 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड द्वारा हजीरा, गुजरात में 247.5222 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 28 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने 23 फरवरी 2009 को आयोजित अपनी बैठक में 40.1538 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को हटाने तथा 11.0574 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। अनुमोदन बोर्ड ने 19 जून 2009 को आयोजित अपनी बैठक में 13.3283 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की थी।

11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 178.5813 हेक्टेयर को छोड़ते हुए कुल अधिसूचित क्षेत्र में से 28.841 हेक्टेयर भूमि के आंशिक विमुक्तीकरण के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

अब विकासक ने यह कहते हुए संपूर्ण एसईजेड के विमुक्तीकरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का अनुरोध किया है कि एसईजेड में दो मौजूदा यूनिटों ने वैश्विक आर्थिक मंदी जिससे स्टील बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, के कारण एसईजेड से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। इन यूनिटों को एसईजेड स्कीम के तहत उनके द्वारा प्राप्त किए गए विभिन्न छूटों / रियायतों के कारण सभी देय राशियों को लौटाने के अधीन विकास आयुक्त द्वारा बाहर निकलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। बताया गया है कि विकासक ने 247.52 हेक्टेयर के एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कस्टम ड्यूटी तथा अन्य छूट जैसे कि स्टांप ड्यूटी, वैट आदि के कारण अपने सभी देयों जिसकी राशि 5.28 करोड़ रुपए है, का भुगतान कर दिया है।

#### मद संख्या 41.9 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) बाचुपल्ली गांव, कुतबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बाचुपल्ली गांव, कुतबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 29.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अधिसूचित क्षेत्र में से 8.64 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.23 हेक्टेयर हो जाएगा। जहां तक प्रस्तावित विमुक्ति के कारणों का संबंध है, विकासक ने बताया है कि बाजार की वर्तमान स्थितियों के तहत परियोजना की समीक्षा करते समय कंपनी ने अपेक्षित बिल्डअप प्लान और भूमि क्षेत्र को संशोधित किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(ii) मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेल्लांडुर गांव, वरतुर होब्ली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में उनके प्रचालन के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बंगलौर, कर्नाटक में 10.361 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड 23 अक्टूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 23 मई, 2008 को 2.312 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया था। इससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 12.673 हेक्टेयर हो गया। 2 जनवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 6.503 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का विकास करने के लिए मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया था। सह विकासक ने 6.17 हेक्टेयर की वृद्धि के माध्यम से अपने प्रचालन के अधीन क्षेत्रफल को 6.503 हेक्टेयर से बढ़ाकर 12.673 हेक्टेयर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। क्षेत्रफल में इस वृद्धि से मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संपूर्ण एसईजेड का विकास किया जाएगा। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 15 फरवरी, 2010 उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.10 : कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 317.715 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 4 दिसंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 11 फरवरी 2010 और 8 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में विकासक को एसईजेड में क्रमशः 108.03 हेक्टेयर और 2.5 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में ग्रीन फील्ड पोर्ट स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदित नहीं किया गया था तथा अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया था कि पोर्ट के लिए प्रस्ताव उसके द्वारा विचार

के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तदनुसार विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्पष्ट रूप से पोर्ट के लिए निम्नलिखित क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

- क) एक नया ग्रीन फील्ड लघु पोर्ट स्थापित करने के लिए राजस्व भूमि।
- ख) विकासक के कब्जे में मौजूद तटीय भूमि जो तमिलनाडु समुद्री बोर्ड से ली गई है।
- ग) तमिलनाडु सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार पोर्ट वाटर एरिया जो विकासक द्वारा केवल पोर्ट वाटर के प्रयोग के लिए अनुमत किया गया है।

शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	पत्तन के लिए क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	लघु पत्तन के लिए राजस्व भूमि	124.13
2.	तटीय भूमि	6.07
3.	जल क्षेत्र में जेट्टी के लिए क्षेत्र	46.17
4.	उत्तरी ब्रेक वाटर के लिए क्षेत्र	10.93
	कुल	187.30

विकासक ने बताया है कि अनुरोधित अतिरिक्त क्षेत्र अपने आप में संस्पर्शी है तथा पहले से अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र के संयोजन में है। मौजूदा एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के कानूनी अधिकार एवं कब्जा के प्रमाण के संबंध में भूमि दस्तावेजों की नोटरीकृत प्रतियां, गैर भारग्रस्तता प्रमाण पत्र तथा सन्निकटता, रिक्तता तथा कब्जा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाने वाले मैप की प्रति अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। ग्रीन फील्ड पोर्ट स्थापित करने के लिए एसईजेड के क्षेत्रफल में 187.30 हेक्टेयर की वृद्धि करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.11 : शोलिंगनल्लूर, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। 8 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई थी तथा पत्र दिनांक 21 जून 2010 के माध्यम से विकासक को अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवगत कराया गया था। अब विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई मंजूरी को निरस्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी अनुरोध किया है कि 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने तथा एसईजेड के क्षेत्र में 5.72.1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने के लिए उनके पिछले अनुरोध, जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 11.24.1 हेक्टेयर हो जाएगा, जिस पर 9 अप्रैल 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड सहमत नहीं हुआ पर फिर से विचार किया जाए।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.12 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, आंध्र प्रदेश में लगभग 10 हेक्टेयर (25.68 एकड़) के क्षेत्रफल में मैसर्स एलएंडटी इंफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए 11 फरवरी 2010 को आयोजित बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन को निरस्त करने का भी अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड की टिप्पणियों के साथ अनुरोध का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

गतिविधि (अधिकृत प्रचालन)	विकासक की कुल पात्रता (वर्गमीटर में)	मांई गई अनुज्ञप्ति (वर्गमीटर में)	अब तक प्रदान की गई अनुज्ञप्ति (वर्गमीटर में)	मांगी गई अतिरिक्त अनुज्ञप्ति (वर्गमीटर में)	विकास आयुक्त की टिप्पणियां
आवासीय अपार्टमेंट	18432	---	18432 (विकासक ने इस अनुमोदन को निरस्त करने की मांग की है)	---	विकासक ने इस अनुमोदन को निरस्त करने की मांग की है। विकास आयुक्त ने सिफारिश की है
कॉमर्सियल सर्विस अपार्टमेंट	4608	4500	---	---	विकास आयुक्त ने सिफारिश की है
सुविधाएं - 20 बिस्तर वाले अस्पताल के साथ चिकित्सा सुविधा, क्लब हाउस, बैंकों, आईटी / साफ्टवेयर प्रशिक्षण केन्द्र, कंप्यूटर हार्डवेयर शोरूम तथा सहायता सेवा कार्यालयों के लिए	7680	7500	---	-	विकास आयुक्त ने सिफारिश की है

स्थान					
-------	--	--	--	--	--

उपर्युक्त के अलावा विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई लाभ प्राप्त किए गए बगैर एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने की मांग की है :

गतिविधि (अधिकृत प्रचालन)	मांई गई अनुज्ञप्ति	अब तक प्रदान की गई अनुज्ञप्ति	विकास आयुक्त की टिप्पणियां
होटल	10000 वर्गमीटर	शून्य	स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 84000 वर्गमीटर है।
गैर आईटी स्पेस	40000 वर्गमीटर	शून्य	

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) अत्युत्पुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अधिष्ठान इनवेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अत्युत्पुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 404.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए अनुरोध किया है। टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

गतिविधि (जो डिफाल्ट सूची में शामिल नहीं है)	एसईजेड की पात्रता (वर्गमीटर)	ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (विकासक)			अधिष्ठान इनवेस्टमेंट (सह-विकासक)		सह विकासक को अब तक प्रदान की गई अनुज्ञप्ति	विकास आयुक्त, वीएसईजेड की अभ्युक्तियां
		अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर)	निर्मित (वर्गमीटर)	शेष (वर्गमीटर)	वृद्धि (वर्गमीटर)	कुल (वर्गमीटर)		
आवासीय - आवास हॉस्टल / सर्विस अपार्टमेंट	4,98,100	20,000	6760	13,240	20000	33240	शून्य	संस्तुत
सुविधाएं - स्कूल / तकनीकी संस्थाएं / शैक्षणिक संस्थान	2,49,050	8,000	0	8000	0	8,000	शून्य	-तदैव-
वाणिज्यिक								
कार्यालय स्थान / शॉपिंग क्षेत्र / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स	---	40,000	5,520	34480	0	34480	शून्य	-तदैव-

बजट होटल के 25 कमरे	---	0	0	0	1500	1500	शून्य	-तदैव-
व्यवसाय / सम्मेलन केन्द्र	----	100 व्यक्तियों के लिए	0	लागू नहीं	0	600 व्यक्तियों के लिए	शून्य	-तदैव-
उपजोड़ - वाणिज्यिक	2,49(050)	40,000	5,520	34,480	1500	36,580	शून्य	
ग्रीन बेल्ट के साथ गोल्फ कोर्स	---	----	----	---	3,23,748 (80 एकड़)	3,23,748 (80 एकड़)	शून्य	-तदैव-
रेल हेड	---	निर्दिष्ट नहीं	0	लागू नहीं	0	निर्दिष्ट नहीं	शून्य	-तदैव-

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स एनएसएल एससईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विकसित आईटी / आईटीईएस एससईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एससईजेड 18 मई 2007 को 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 8 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एससईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने कुछ अधिकृत प्रचालनों को सह विकासक के पक्ष में अंतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी जो पहले विकासक के लिए अनुमोदित किए गए थे। अब सह विकासक ने कहा है कि विकासक को कुल 55000 वर्गमीटर के लिए अनुमति प्रदान की गई थी (आवासीय अपार्टमेंट के अलावा) जिसमें रिटेल के लिए 10000 वर्गमीटर तथा क्लब, जिम आदि के लिए 5000 वर्गमीटर शामिल है, जबकि सह विकासक के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन में मनोरंजन क्षेत्र को भी शामिल किया गया है और यह मूल अनुमोदन में 15000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल को शामिल नहीं करता है। इसके अलावा चूंकि विकासक ने सह विकासक के पक्ष में अधिकृत प्रचालनों को अभ्यर्पित कर दिया है, विकासक द्वारा अभ्यर्पित मात्रा सह विकासक के लिए भी अनुमोदित की जानी चाहिए। विकास आयुक्त ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। प्रस्ताव का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

गतिविधि	कुल पात्रता (जो विकासक के नाम में पहले से अनुमोदित है) (वर्गमीटर में)	10 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक द्वारा अभ्यर्पण पर सह विकासक को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति (वर्गमीटर में)	मांगी गई अतिरिक्त अनुज्ञप्ति (वर्गमीटर में)
व्यवसाय केन्द्र	5000	5000	शून्य
फूड कोर्ट	5000	5000	शून्य
वाणिज्यिक	5000	5000	शून्य
रिटेल	10000		

मनोरंजन क्षेत्र	10000	10000	15000
क्लब, जिम आदि	5000		
कुल	40000	25000	15000

(iv) सेक्टर 106, पावला खुसरूपुर गाव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट में अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुमोदन की मात्रा में वृद्धि के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

सेक्टर 106, पावला खुसरूपुर गाव, गुड़गांव, हरियाणा में 11.6627 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 16 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 08 जून, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	हाउसिंग यूनिट्स / आवासीय (660 इवेलिंग यूनिट्स)	68627	30000
2.	वाणिज्यिक / प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधाएं क) कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, सुविधा प्रबंधन, प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, मल्टी ऐक्टिविटी सेंटर ख) डाइनिंग की सुविधाओं, हाउस कीपिंग की सुविधाओं, बिजनेस सेंटर, ट्रेवल डेस्क आदि सहित सर्विस अपार्टमेंट	16206	7500
3.	वाणिज्यिक क) वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान ख) सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि : फूड सर्विस जिसमें कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं, किचन, शौचालय एवं विश्राम कक्ष शामिल हैं। बुनियादी सुविधा स्टोर, ग्रीसरी, स्टेशनरी स्टोर, सामान्य सुविधा स्टोर, बैंक, एटीएम, डाक घर, कूरियर की सुविधाएं। स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं / चिकित्सा केन्द्र जैसे कि क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मसी आदि	10000	
4.	मनोरंजक सुविधाएं : जैसे क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम्स, बाल गतिविधि केन्द्र एवं जिम	3499	3499



5.	शिक्षा की सुविधाएं : (स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान)	2000	2000
----	---	------	------

अब विकासक ने यह कहते हुए आवास और वाणिज्यिक सुविधाओं के संबंध में अधिकृत प्रचालनों की मात्रा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि यह हरियाणा राज्य में अनुमत एफएआर के अनुसार ग्राह्य है। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक ने अनुमोदित मात्रा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है :

क्र. सं.	प्रस्तावित गतिविधियां	मात्रा जिस पर 08 जून, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था (वर्गमीटर में)	कुल ग्राह्यता (वर्गमीटर में) 5.7771 हेक्टेयर के एनपीए पर राज्य में अनुमत एफएआर के अनुसार (वर्गमीटर में)	अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुरोध की गई अतिरिक्त / शेष मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	हाउसिंग यूनिट्स / रेजिडेंशियल (660 इवेलिंग यूनिट्स)	68627	60595 @ एफएआर 175	30000	30659
2.	वाणिज्यिक / प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधाएं (a) कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, सुविधा प्रबंधन, प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, मल्टी ऐक्टिविटी सेंटर (b) डाइनिंग की सुविधाओं, हाउस कीपिंग की सुविधाओं, बिजनेस सेंटर, ट्रेवल डेस्क आदि सहित सर्विस अपार्टमेंट	16206	15164 @ एफएआर 175	7500	7664
3.	वाणिज्यिक a) वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान b) सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि : <ul style="list-style-type: none"><li>फूड सर्विस जिसमें कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं, किचन, शौचालय एवं विश्राम कक्ष शामिल हैं।</li></ul>	10000			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बुनियादी सुविधा स्टोर, गोसरी, स्टेशनरी स्टोर, सामान्य सुविधा स्टोर, बैंक, एटीएम, डाक घर, कूरियर की सुविधाएं।</li> <li>• स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं / चिकित्सा केन्द्र जैसे कि क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मसी आदि</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

उपर्युक्त के अनुसार अधिकृत प्रचालनों की मात्रा में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) एसईजेड में सह विकासक मैसर्स रीटोक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में अनुमोदन के अंतरण के लिए नागपुर महाराष्ट्र बहु उत्पन्न एसईजेड के विकासक मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 मई 2007 को 1511.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1578.41 हेक्टेयर हो गया। एलओए दिनांक 05 जनवरी, 2009 के माध्यम से मैसर्स बिटोक्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी विभिन्न बैठकों में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों को सह विकासक मैसर्स रीटोक्स बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अंतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन (वर्गमीटर में)	मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	विकासक द्वारा उपलब्ध कराई गई योजना के अनुसार हाउसिंग चरण-1  (8 अगस्त 2007 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित)	275000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ 2082 फ्लैटों की कुल संख्या के साथ
2.	(i) कम आय वर्ग के लिए मकान  (ii) सुविधाजनक शॉपिंग यूनिटें  (2जनवरी 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित)	(i) 11312 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ 180 मकान  (ii) 12255 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ 72 मकान
3.	आवास फेज 1 में क्लब हाउस  (25 फरवरी 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित)	2035 वर्गमीटर

मद संख्या 41.13 : डीटीए बिक्री तथा मदों की ब्राड बैंडिंग / विस्तार को अनुमत करने के लिए एनएसईजेड में यूनिट मैसर्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स डिवीजन का प्रस्ताव

22 अप्रैल 2003 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश / अनुमोदन पर मैसर्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स डिवीजन - यूनिट 2 (जो मैसर्स ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक डिवीजन है) की यूनिट स्थापित की गई। यह यूनिट ऑप्टिकल - इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि वाहनों में प्रयोग के लिए पैसिव विजन डिवाइस, लेजर रेंज फाइंडर, लेजर वर्निंग तथा सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्विलांस तथा फायर कंट्रोल सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण के लिए अनुमोदित की गई।

1 अप्रैल 2004 को एलओए जारी किया गया तथा अन्य बातों के साथ शर्त रखी गई कि (i) यूनिट उत्पादन आरंभ होने की तिथि से 5 साल की अवधि तक एसईजेड स्कीम के अनुसार अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करेगी और (ii) यूनिट को अपने उत्पादों के लिए किसी डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त एलओपी 19 मार्च, 2011 तक वैध है।

यूनिट ने निम्नलिखित के संबंध में एलओए में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है :

- (i) डीटीए बिक्री को अनानुमत करने वाली शर्त को एलओए से हटाया जाए और उसे केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों के अधिकृत संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को डीटीए बिक्री / आपूर्ति की अनुमति दी जाए।
- (ii) यूनिट ने लगभग 1.25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी माल का आयात करने का प्रस्ताव किया है।
- (iii) एलओए की मदों को निम्नानुसार विस्तारित / शामिल किया जा सकता है :

वर्तमान एलओए में मदें	मदों की संशोधित सूची
निम्नलिखित की डिजाइन, विकास और निर्माण :	निम्नलिखित की डिजाइन, विकास और निर्माण :
1. आप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि वाहनों में प्रयोग के लिए पैसिव विजन डिवाइस	1. आप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि पैसिव / नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, होलोग्राफिक / रिफ्लेक्स साइट, स्पाटर स्कोप, टेलीसकोपिक साइट, प्रिज्मेटिक / पेरिस्कोपिक डिवाइस तथा बायनोकुलर / मोनोकुलर डिवाइस
2. लेजर रेंज फाइंडर, लेजर वर्निंग और	2. लेजर सिस्टम जैसे कि लेजर रेंज फाइंडर, लेजर साइट, लेजर वर्निंग सिस्टम
3. आत्मरक्षा प्रणाली,	3. आत्मरक्षा प्रणाली
4. इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्विलांस और	4. इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्विलांस तथा सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि कैमरा, सर्च लाइट, स्पाटर स्कोप
5. फायर कंट्रोल सिस्टम	5. फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे कि टैंक आपरेटेड थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम, टैक्टिकल लाइट, विभिन्न सेंसर तथा कंट्रोल यूनिटें

	<p>6. संचार प्रणाली</p> <p>7. उपर्युक्त मर्दों के लिए प्रयुक्त असेसरीज जैसे कि माउंटिंग एडाप्टर कैरी केस, प्रोटेक्सन कवर, मेंटीनेंस किट, पावर सप्लाई यूनिट आदि</p>
--	--

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव का ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है। यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.14 : एक एसईजेड से यूनिटों को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई में यूनिट के ट्रांसफर के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा एलओए का धारक है। यूनिट ने पेरुंगलाथूर गांव, चेन्नई में श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट द्वारा प्रस्तावित अंतरण के लिए प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है। यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.15 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) भुवनेश्वर, उड़ीसा में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एक अतिरिक्त फाटक के अनुमोदन के लिए मैसर्स उड़ीसा इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

ऊपर उल्लिखित आईटी एसईजेड 69.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 18 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि अधिसूचित एसईजेड के अंदर गोल्फ क्लब, भुवनेश्वर नामक एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र है जो प्रसंस्करण क्षेत्र को दो भागों में साफ साफ विभाजित करता है जिसके चलते एक फाटक से एसईजेड क्षेत्र के प्रचालन को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसलिए विकासक ने एक फाटक के स्थान पर दो फाटकों का निर्माण करने हेतु विशेष मामले के रूप में अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है। विकासक का अनुरोध 15 दिसंबर, 2009 को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एफएसईजेड को एसईजेड का निरीक्षण करने तथा अतिरिक्त गेट के प्रावधान के संबंध में बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। इस बीच आईडीसीओ ने भी एसईजेड की प्रचालनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त गेट के निर्माण के लिए 1.66 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि का प्रस्ताव किया है, जिसकी उड़ीसा सरकार ने भी सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार विकास आयुक्त, एफएसईजेड की रिपोर्ट के साथ 1.66 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के साथ एक अतिरिक्त गेट (गेट नंबर 2) के निर्माण के लिए आईडीसीओ का अनुरोध अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। आईडीसीओ का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 41.16 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अपने अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड की अपील

मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। इसके बाद गियर बाक्स के निर्माण की मरम्मत / रीइंजीनियरिंग तथा रीकंडिशनिंग के लिए तथा विंड टर्बाइन के लिए गियर बाक्स के स्पेयर पार्ट्स में व्यापार से संबंधित सेवाओं को शामिल करने के लिए भी एलओए को संशोधित किया गया था। यूनिट ने विकास आयुक्त, एमपीईजेड - एसईजेड, चेन्नई के कार्यालय से अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के लिए मंजूरी प्रदान करने की मांग की थी। 26 मार्च 2010 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था। यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट द्वारा अनुरोध की गई निम्नलिखित इनपुट सेवाओं के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की है (अनुबंध 5) :

- क) मंडप कीपर सर्विस
- ख) फोटोग्राफी
- ग) आनलाइन इनफार्मेशन डाटाबेस अक्सेस या रिट्रीवल सर्विस
- घ) अधिकृत सर्विस स्टेशन सेवा
- ङ) स्वास्थ्य एवं फिटनेस सेवा
- च) बीमा सहायक सेवाएं सामान्य तथा जीवन बीमा

यूनिट ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 6 के रूप में संलग्न है। अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड की अपील

आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 200000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आवासीय अपार्टमेंट (1250 यूनिट) के निर्माण के लिए विकासक को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की है कि आवासीय अपार्टमेंट केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होंगे। केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए विकासक के अनुरोध पर 8 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था तथा अस्वीकार कर दिया गया था। अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के बारे में विकासक को पत्र दिनांक 21 जून 2010 के माध्यम से सूचित किया गया था। अब विकासक ने 8 जून 2010 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के

समक्ष अपील दाखिल की है। निर्णय की समीक्षा करने के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है।

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को निरस्त करने के संबंध में विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स मैकलॉयड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग, घरेलू मदों तथा प्लास्टिक ग्रैन्यूल / श्रेडिंग, ग्राइंडिंग, पीस, क्रशिंग, शीट, एक्सट्रूडेड और माउल्डेड आर्टिकल आदि के निर्माण के लिए 15 अक्टूबर 1997 को मैसर्स मैकलॉयड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 31 अक्टूबर 2005 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। एलओपी दिनांक 30 मई 2005 के माध्यम से सूरत एसईजेड द्वारा 5 साल की अवधि के लिए अर्थात् 31 अक्टूबर 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। तथापि, 22 जून 2005 को सूरत एसईजेड द्वारा यह कहते हुए एलओपी की वैधता अवधि निरस्त कर दी गई थी कि परियोजना में प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रेप का आयात शामिल है तथा अग्रतर अनुमति प्रदान करने के लिए ऐसी परियोजना पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए अनुरोध अग्रेषित नहीं किया गया। यूनिट ने बताया है कि उनका इंट्री बिल नंबर एसएसईजेड/डीटीए/238/9/07-08 दिनांक 14 अगस्त 2007 तथा माल क्लियर किया गया जो इस बात का प्रमाण है कि एलओपी वैध है। यह भी बताया गया है कि आज तक उनका अग्रिम इंट्री बिल अनुमोदित नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप वे माल क्लियर नहीं करा पाए हैं तथा कंसाइनमेंट को भारी नुकसान हो रहा है। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने अतीत में सूरत एसईजेड तथा केएसईजेड को असंख्य अभिवेदन प्रस्तुत किया है परंतु कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यूनिट ने अपील में निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है :

- (i) 31 अक्टूबर 2010 तक एलओपी की अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि
- (ii) 30 मई 2015 तक 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाना
- (iii) अग्रिम इंट्री बिल का अनुमोदन।

यूनिट की अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

\*\*\*